[Form 1 – See Government of India's Instruction (1) and (2) below Rule 16)

प्रथम नियुक्ति के समय भरा जाने वाला अचल संपत्ति के विवरण का फार्म STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY ON FIRST APPOINTMENT

1.	अधिकारी का पूरा नाम, तथा सेवा जिस	से वह संबंधित है					
	Name of the Officer (in full) and service to which the officer belongs:-		XYZ,	, NAME OF SEF	RVICE	(PROBATIO	ONER)
	•						

- 2. वर्तमान पद/Present Post held NAME OF SERVICE(PROBATIONER)
- 3. राज्य संवर्ग जिससे संबधित है। Cadre of the State on which borne PQR (IF APPLIABLE) 4. वर्तमान वेतन /Present Pay

जिला, उपखण्ड, तालुका एवं गांव का नाम जहां संपत्ति है Name of District, Sub-Division, Taluk and	संपत्ति का नाम तथा विवरण Name and details of Property मकान एवं भूमि अन्य भवन	* वर्तमान मूल्य Present Value	** यदि अपने नाम पर नहीं है तो उसका नाम, जिसके नाम पर है तथा उसका कर्मचारी के साथ संबंध	कैसे अर्जित की- खरीदी, पट्टे*** पर ली, बंधक रखी, विरासत में मिली, उपहार- स्वरूप मिली या अन्य तरह प्राप्त हुई। अर्जित करने की तारीख दें तथा उस व्यक्ति का नाम एवं विवरण भी दें जिससे प्राप्त की है	संपत्ति से प्राप्त वार्षिक आय Annual Income from the Property	अभ्युक्तियां REMARKS
Village in which property is situated	Housing and other building and Land		If not in own name, state in whose name held and his/her relationship to the member of the Service	How acquired whether by purchase, lease*** mortgage, inheritance gift or otherwise, with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.		
1	2 3 2. Housing and other buildings	4	5	6	7	8
	3. Land					

कृ.पृ.पलटिए/P.T.O

-2-

टिप्पणी:

अखिल भारतीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली 1968 के नियम 16(5) के अंतर्गत भा.प्र.सेवा/भा.पु.सेवा के प्रत्येक सदस्य को और केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) 1965 के नियम 18(3) के अंतर्गत प्रथम एवं दिवतीय श्रेणी के सदस्यों को इस घोषणा प्रपत्र में निजी, अर्जित की गई, विरासत में मिली, पट्टे पर ली गई या बंधक रखी गई अचल संपत्ति का विवरण चाहे वह उसके अपने नाम पर हो या परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो- प्रथम नियुक्ति के समय भरकर प्रस्तुत करना होता है और बाद में इस आशय की सूचना प्रत्येक 12 महीनों के अंतराल में दी जानी होती है।

Note:

The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of IAS/IPS under rule 16(5) of the All India Services (Conduct) Rules 1968 on first appointment to the service and Class I and Class II Service under Rule 18(3) of the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1965 on first appointment to the service and thereafter at an interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him/her or held by him/her on lease or mortgage, either in his/her own name or in the name of any member or his family or in the name of any other persons.

- जहां, सही-सही मूल्य निर्धारण संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुमानित मूल्य दर्शाएं। In cases where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- ** जो लागू न हो, काट दें। Inapplicable clause to be struck out.
- *** अल्पावधि का पट्टा भी सम्मिलित है। Includes short term lease also.